न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 122/2017 (223)
आरसीएमएस संख्या – 2017/00232
उनवान :–

1. अजीत सिंह पुत्र साधू सिंह (मृत)
   1/1. श्रीमती हरदेई वेवा अजीत सिंह
   1/2. लखपत सिंह
   1/3. जगदेव सिंह } पिसरान अजीत सिंह
   1/4. करतार सिंह
   1/5. सुमन पुत्री अजीत सिंह

   जाति जाट सिक्ख नि0 नगल श्योसिंह तह0 व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

जनरैल सिंह पुत्र श्री गुरमुख सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी चक नगला टीकेता तहसील व जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दिनांक 19.06.2017 प्रकरण संख्या 222/08 उनवान अजीत सिंह बनाम जनरैल सिंह।

उपस्थित :–

1. श्री सोनीराम शर्मा एडवोकेट अपीलाण्ट।
2. अभिभाषक रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक :–15.04.2021**

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 19.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि साविक बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 03 बीघा 02 विस्वा एवं 16 रकवा 04 बीघा 10 विस्वा ग्राम चक श्योसिंह तहसील भरतपुर वादी/अपीलाण्ट के पिता श्री साधू सिंह की कब्जे खातेदारी की आराजी है। साधू सिंह फौत हो चुके हैं उनके स्थान पर वादी/अपीलाण्ट एक मात्र वारिस होने के नाते विरासतन काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। बन्दोबस्त विभाग ने वादी/अपीलाण्ट के कब्जे एवं खातेदारी के साविक नम्बरान 15, 16 से हाल नम्बरान 49, 50, 51, 42 कुल किता 4 रकवा 1.21 बनाये हैं जिनमें से वादी/अपीलाण्ट को खसरा नम्बर 49, 50, 42/258 पर खातेदार अंकित किया गया है तथा हाल खसरा नम्बर 51 पर प्रतिवादी/रैस्पो0 को गलत व खिलाफ कानून खातेदार अंकित कर दिया गया है जिससे

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

वादी/अपीलाण्ट का रकबा 0.39 कम हो गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवदेन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलब किया गया। वक्त बहस रैस्पो0 एवं उनके अभिभाषक को बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की बिना विधिवत तामील कराये एवं बिना सुनवाई का मौका दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में तारीख पेशी 29.06.2017 नियत थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 19.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में नियत कर अपीलाण्ट की बिना तामील कराये, अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय स्वयं ने यह माना है कि अपीलाण्ट का रकबा गत के अनुसार कम आया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी/अपीलाण्ट खारिज करने में भूल की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी निवेदन है कि राजस्व लोक अदालत में केवल वे ही प्रकरण निस्तारण योग्य थे जिनमें दोनों पक्षकारान सहमत हो। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के प्रकरण में पक्षकारो की कोई सहमति नहीं ली ना ही किसी को नोटिस ही भेजा। प्रकरण में तनकियात कायम हो चुकी थी तो अधीनस्थ न्यायालय को दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकी पूर्ण निर्णय पारित करना चाहिये था जो नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस अपीलाण्ट पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.04.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अग्रिम पेशी दिनांक 29.06.2017 वास्ते बहस फाईनल नियत थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियत पेशी दिनांक 29.06.2017 से पूर्व ही दिनांक 19.06.2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेशिका दिनांक 19.06.2017 में कही भी यह उल्लेख नहीं है कि पक्षकारो को राजस्व लोक अदालत के नोटिस की तामील हो चुकी हो एवं ना ही आदेश में पक्षकारो की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति ही अंकित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पेशी दिनांक 20.04.2017 को अग्रिम पेशी दिनांक 29.06.2017 नियत की गयी थी। उक्त पेशी में यह कही भी अंकित नहीं है कि उक्त पेशी राजस्व लोक अदालत के लिये नियत की गयी। इसके अतिरिक्त प्रकरण में दिनांक 18.09.2008 को दादरसी सहित चार तनकियॉं कायम की गयी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश तनकीवार नहीं है। जबकि आर्डर 20 रूल 5 सी.पी.सी. के अनुसार तनकीयात कायम होने पर प्रकरण का निस्तारण तनकीवाईज होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्येक तनकी पर कारण सहित अपना निष्कर्ष देते हुए निर्णय

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज०)

पारित करना चाहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को कानूनसम्मत नही माना जा सकता है।

5. हम यहाँ यह भी स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर में ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प में विधि अनुसार किया जा सकता है। राजस्व लोक अदालत का भी उद्देश्य केवल यही था कि आपसी सहमति एवं राजीनामें के आधार पर चल रही पत्रावलियों का निस्तारण किया जावें। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य कोई राजीनामा होना दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस प्रकार बिना राजीनामा एवं पक्षकार को बिना सूचना दिये, राजस्व लोक अदालत में प्रकरण रखकर पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस प्रकरण को पुनः विधिवत विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जाना उचित समझतें हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर का आदेश दिनांक 19.06.2017 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारो को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि अनुरूप तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.06.2021 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होंवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 15.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.04.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर